पत्रावली पर प्रार्थीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी [ाता संख्या 782 खसरा नम्बर 1054/655 रकबा 1.0116 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होकर काबिज काश्त है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है।

3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>— चूंकि विवादित आराज़ी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। मूल दावा जो स्थाई निषेधाज्ञा का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराज़ी की बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम कानोता स्थित आराज़ी खाता संख्या 782 खसरा नम्बर 1054/655 रकबा 1.0116 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी ज़िला जयपुर में सीमाजोड़ को जबरन तोड़कर प्रार्थीगण की स्वामित्व की भूमि में अवैध अतिक्रमण नहीं करे, उसमें जबरन कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की दखल अन्दाज़ी नहीं करे, तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला— जयपुर